नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–06, नौएडा

पत्र संख्याः नौएडा / मु0वा0नि0 / 2024 / 4213
दिनांकः 2-7-2024

मैसर्स मैक्स स्टेट्स 128 प्रा.लि.
रजि0 ऑफिसः मैक्स हाउस,
1, डा0 झा मार्ग, ओखला
नई दिल्ली–110020

विषयः– **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या टी.एस.–02, सेक्टर–128, नौएडा पर क्रय योग्य एफ.ए.आर. क्रय करने के सम्बन्ध में।**

कृपया ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या टी.एस.–02, सेक्टर–128, नौएडा पर क्रय योग्य एफ.ए.आर. क्रय करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा दिनांक 28.06.2024 को निम्न प्रतिबन्धों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

1. 20,000 वर्गमीटर एफ.ए.आर. क्रय करने हेतु देय शुल्क रू0 48,60,72,784.00 / – (अड़तालिस करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार सात सौ चौरासी रूपये मात्र) का भुगतान प्राधिकरण में इस पत्र के निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा।
2. उक्त राशि पर नियमानुसार 18% जी.एस.टी. अलग से जमा करानी होगी।
3. क्रय योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त अदा की जायेगी।
4. प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आवंटी संस्था के पास 31.03.2024 तक समयवृद्धि थी एवं 31.03.2024 के उपरान्त बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नौएडा प्राधिकरण की समयवृद्धि नीति के अनुरूप ग्रुप हाउसिंग विभाग, नौएडा से समयवृद्धि प्राप्त होने के उपरान्त ही क्रय योग्य एफ.ए.आर. के साथ मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
5. यदि सेक्टर में जल, सीवर एवं विद्युत संरचना को सुदृढ़ीकरण करने में क्रय योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष में प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय होता है, तो समानुपातिक रूप से आवंटी संस्था को प्राधिकरण से धनराशि मांगे जाने पर प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
6. क्रय योग्य एफ.ए.आर. के साथ ऑनलाईन भवन मानचित्र स्वीकृति के समय अन्य विभागों से अनापत्ति एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुरूप संशोधित भवन मानचित्र एवं आवश्यक प्रपत्र जमा कराने होंगे।

कृपया उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण करने का कष्ट करें।

28/6/24

वरि. प्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा

प्रतिलिपिः–

1. वित्त नियन्त्रक, नौएडा को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी(ग्रुप हाउसिंग), नौएडा को सूचनार्थ।
3. उप महाप्रबन्धक(सिविल)को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क्रय योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर में यदि कोई सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वरि. प्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा